संदर्भ सं. राबैं.प्रका.डीएमएफ़आई/54627 - 54637/ डीएमएफ़आई-23/2025-26
परिपत्र सं. 165 / डीएमएफ़आई - 06/2025
08 जुलाई 2025

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक सहित)/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
(अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड)

महोदया/ महोदय,

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएसपी)/ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) हेतु संशोधित प्रोत्साहन योजना

वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफ़एस), भारत सरकार द्वारा गठित बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) के कामकाज पर अनुप्रवर्तन समिति ने दिनांक 13 अक्तूबर 2022 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में यह सुझाव दिया था कि नाबार्ड द्वारा एक योजना बनाई जाए जिससे दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) को क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सके। तदनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत ग्राहक सेवा केन्द्रों (सीएसपी)/ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) हेतु एक योजना लागू की गई थी। तत्पश्चात् इस योजना को पहाड़ी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया गया था।

2. इसी क्रम में यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) के कामकाज पर निगरानी समिति से प्राप्त सुझावों तथा विभिन्न हितधारकों द्वारा साझा किए गए सुझावों के अनुरूप संशोधित किया गया है।

3. जैसा की आपको विदित है, इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि बैंकों द्वारा पहले से दिए जा रहे निर्धारित कमीशन और परिवर्तनीय कमीशन के अतिरिक्त होगी। यह राशि व्यक्तिगत बीसी या बीसी एजेंट या सीएसपी ऑपरेटर, जिसे अब से "ऑपरेटर" कहा जाएगा, को सीधे देय होगी, जो लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के साथ लेनदेन के न्यूनतम स्तर को पूरा करता है।

4. संशोधित योजना का विवरण निम्नानुसार है:

क) **परिचालन अवधि:** संशोधित योजना दिनांक 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और यह दिनांक 31 मार्च 2026 तक परिचालन में रहेगी।

ख) **पात्र संस्थाएँ**: यह योजना पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड) में कार्यरत सभी बैंकों के लिए लागू होगी।

ग) **पात्र व्यक्ति**: बैंकों द्वारा नियुक्त किए गए ऑपरेटर या कॉर्पोरेट बीसी के माध्यम से बैंकों द्वारा नियुक्त किए गए ऑपरेटर। दूसरे शब्दों में सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा, न कि वह एजेंसी जिसने उन्हें नियुक्त किया है। ऑपरेटर एकल प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा, भले ही उसके द्वारा सेवा प्रदान किए गए गांवों की संख्या एक से अधिक हो।

घ) **पात्र स्थान:** जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण केन्द्रों, अर्थात् टीयर 5 एवं टीयर 6 केन्द्रों (जनसंख्या 9,999 तक) में कार्यरत ऑपरेटर।

ङ) **योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का दावा करने हेतु पात्रता**: पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में बैंकों के ऑपरेटर को औसतन प्रति माह 30 या उससे अधिक वित्तीय लेनदेन करने पर ₹1500/- प्रति माह का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

5. **सहयोग हेतु पात्र गतिविधियाँ**: ऑपरेटर आउटलेट पर उपलब्ध कराई जा सकने वाली व्यापक गतिविधियों की सांकेतिक सूची अनुबंध 1 में दी गई है।

6. **नाबार्ड से प्रतिपूर्ति का दावा करने की प्रक्रिया:**

क) सभी पात्र ऑपरेटरों को प्रति ऑपरेटर ₹1500/- प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

ख) बैंकों को उस राज्य में नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा जहाँ ऑपरेटर अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। बैंकों को नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का प्रारूप संलग्न है (परिशिष्ट-I)।

ग) नाबार्ड की स्वीकृति मिलने पर बैंकों को तिमाही आधार पर ऑपरेटरों को प्रोत्साहन का भुगतान करना होगा और तिमाही के समापन के एक महीने के भीतर निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-II) में तिमाही के लिए प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करना होगा।

घ) बैंक उन ऑपरेटरों के लिए प्रोत्साहन का दावा करने के पात्र होंगे जो पूरी तिमाही के लिए उनके साथ जुड़े थे। तथापि एक तिमाही के दौरान बीच में शामिल किए गए नए ऑपरेटरों के लिए न्यूनतम एक महीने का कार्यनिष्पादन ध्यान में रखा जाएगा।

ङ) ऑपरेटर द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की मासिक औसत संख्या की गणना करने के लिए तिमाही में ऑपरेटर द्वारा किए गए कुल वित्तीय लेनदेन को ऑपरेटर की नियुक्ति के 3 या वास्तविक महीनों की संख्या से विभाजित किया जाएगा (न्यूनतम 1 महीने के अधीन)।

च) बैंकों को संबंधित तिमाही के अंत से 30 दिनों के भीतर एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने पात्र ऑपरेटर के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि जमा कर दी है।

छ) बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी शाखाओं द्वारा तिमाही आधार पर और नियंत्रक कार्यालयों द्वारा अर्द्ध वार्षिक आधार पर ऑपरेटरों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जाए जिससे कार्यनिष्पादन का जायजा लिया जा सके तथा मार्गदर्शन और समस्या निवारण प्रदान किया जा सके।

ज) सभी लाभार्थी ऑपरेटरों को संबंधित बैंकों द्वारा जन धन दर्शक पोर्टल, बीसी रजिस्ट्री पोर्टल या डीएफएस/ आईबीए/ भारतीय रिजर्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा बनाए गए किसी भी ऐसे पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।

7. **अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:**

क) बैंकों को स्वयं-निर्धारित लक्ष्य स्थापित करके वित्तीय रूप से वंचित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए।

ख) योजना के तहत सभी ऑपरेटरों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत कवर किया जाए।

ग) बैंकों को ऑपरेटरों के लिए समूह चिकित्सा बीमा योजना प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

घ) बैंकों को प्रत्येक वंचित गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेटरों को रखने को प्राथमिकता देने हेतु अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क किया जाए।

8. यह परिपत्र इस योजना से संबन्धित पिछले परिपत्रों, नामतः दिनांक 11 अगस्त 2023 का परिपत्र सं. 171/ डीएफ़आईबीटी-04/ 2023, दिनांक 26 अप्रैल 2024 का परिपत्र सं. 77/ डीएफ़आईबीटी -01/ 2024, तथा दिनांक 26 नवंबर 2024 के परिपत्र सं. 285/ डीएफ़आईबीटी - 05/ 2024 और परिपत्र सं. 286/ डीएफ़आईबीटी - 06/ 2024 का अधिक्रमण करता है।

भवदीया

सुसीला

(सुसीला चिंतला)
मुख्य महाप्रबन्धक
संलग्नक: यथोक्त

सभी फिक्स्ड-पॉइंट आउटलेट पर उपलब्ध कराई जाने वाली अनिवार्य सेवाओं की सूची
(*बैंक के लिए विनियामक संस्थाओं द्वारा ऐसी सेवा के अनुमोदन के अधीन)

क्रम. सं.	सेवाएँ	
1	बचत खाते की ओपनिंग	*
2	नकद जमा (स्थानीय बायोमेट्रिक/ एईपीएस/ रुपे कार्ड के माध्यम से ऑन-अस)	*
3	नकद जमा (एईपीएस/ रुपे कार्ड के माध्यम से ऑफ-अस)	*
4	नकद आहरण (स्थानीय बायोमेट्रिक/ एईपीएस/ रुपे कार्ड के माध्यम से ऑन-अस)	*
5	नकद आहरण (एईपीएस/ रुपे कार्ड के माध्यम से ऑफ-अस)	*
6	नकद अंतरण (स्थानीय बायोमेट्रिक/ एईपीएस/ रुपे कार्ड के माध्यम से ऑन-अस)	*
7	नकद अंतरण (एईपीएस/ रुपे कार्ड के माध्यम से ऑफ-अस)	*
8	आईएमपीएस	
9	एनईएफ़टी	
10	बैंक द्वारा अनुमोदित सीमाओं के तहत साधारण ऋण खातों में संग्रहण	*
11	एसएचजी ड्यूयल प्रमाणन लेनदेन	*
12	टीडीआर खातों की ओपनिंग/ नवीनीकरण	
13	आरडी खाते की ओपनिंग	
14	सूक्ष्म दुर्घटना मृत्यु बीमा (पीएमएसबीवाई) के तहत नामांकन	*
15	सूक्ष्म जीवन बीमा (पीएमजेजेबीवाई) के तहत नामांकन)	*
16	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत नामांकन	*
17	रुपे डेबिट कार्ड जारी करना	
18	डेबिट कार्ड की ब्लॉकिंग	
19	शेष राशि पूछताछ (स्थानीय बायोमेट्रिक/ एईपीएस/ रुपे कार्ड के माध्यम से ऑन-अस)	*
20	शेष राशि पूछताछ (एईपीएस/ रुपे कार्ड के माध्यम से ऑफ-अस)	*
21	लघु विवरणी (स्थानीय बायोमेट्रिक/ एईपीएस/ रुपे कार्ड के माध्यम से ऑन-अस)	*
22	लघु विवरणी (एईपीएस/ रुपे कार्ड के माध्यम से ऑफ-अस)	*
23	नए चेक बुक हेतु अनुरोध	
24	चेक के भुगतान को रोकना	
25	चेक की स्थिति की पूछताछ	
26	चेक संग्रहण	
27	आधार सीडिंग, मोबाइल सीडिंग	
28	पासबुक अद्यतनीकरण	
29	एसएमएस अलर्ट/ ईमेल विवरणी हेतु अनुरोध	

30	पेंशन जीवन प्रमाणपत्र	
31	यूटिलिटी बिल का भुगतान (भारत बिल भुगतान प्रणाली)	
32	शिकायतों को प्रारंभ करना और उनकी ट्रैकिंग	
33	खुदरा आस्ति उत्पादों जैसे गृह ऋण, ऑटो ऋण, व्यक्तिगत ऋण, स्वर्ण ऋण, मुद्रा ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड आदि के लिए लीड जनरेशन.	
34	सूक्ष्मवित्त और एसएचजी ऋणों हेतु लीड	*
35	अन्य पक्ष के उत्पादों, जैसे सूक्ष्म बीमा, निवेश (म्यूचुअल फंड), क्रेडिट कार्ड आदि के लिए लीड जनरेशन	*
36	चालू खाते की ओपनिंग हेतु लीड जनरेशन	*

** यह उन सेवाओं को इंगित करता है जो प्रारंभ में अनिर्धारित बिंदु ऑपरेटरों द्वारा पेश की जा सकती हैं. बैंकों को समय-समय पर सेवाओं के समूह का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.*

परिशिष्ट I

(प्रस्तावित प्रारूप)

(बैंक के शीर्ष-पत्र पर प्रस्तुत किया जाए)

मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक/ प्रभारी अधिकारी
नाबार्ड
_____ क्षेत्रीय कार्यालय
_____

महोदया/ महोदय,

पूर्वोत्तर राज्यों/ पहाड़ी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएसपी)/ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) के लिए प्रोत्साहन योजना

कृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 08 जुलाई 2025 के परिपत्र सं. 165/ डीएमएफ़आई-06/ 2025 का संदर्भ लें. इस संबंध में हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे बैंक ने प्रस्तुत विवरण के अनुसार जिलों में सीएसपी/ बीसी/ ऑपरेटर को स्थापित कर दिया है/ के स्थापन का प्रस्ताव दे रहा है (परिशिष्ट I-अ)।

1. हम दावा आवेदन प्रस्तुत करते समय नाबार्ड के निर्धारित एमआईएस के अनुसार विस्तृत स्थान-वार सीएसपी/ बीसी/ ऑपरेटर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वचन देते हैं।

2. हम तिमाही/ छमाही अंतराल पर उन सीएसपी/ बीसी/ ऑपरेटरों के कार्यनिष्पादन का अनुप्रवर्तन करेंगे जिनके लिए दावा प्रस्तुत किया गया है।

3. हम जन धन दर्शक पोर्टल, बीसी रजिस्ट्री या डीएफएस/ आईबीए/ भारतीय रिजर्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा बनाए गए किसी भी ऐसे पोर्टल पर योजना के तहत सहयोग-प्राप्त सभी ऑपरेटरों के संबंध में विवरण अपलोड करने का वचन देते हैं।

4. हम आपके संदर्भित परिपत्र में निर्दिष्ट शर्तों तथा नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी शर्तों और नियमों को स्वीकार करने का वचन देते हैं।

5. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उपर्युक्त, और आपके संदर्भित परिपत्र में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वित्तीय वर्ष _____ के लिए पूर्वोत्तर राज्यों/ पहाड़ी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत बैंकों के _____ सीएसपी/ बीसी/ ऑपरेटरों के संबंध में प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति के लिए एफआईएफ से सहायता का दावा करने हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान करें।

6. हम दावे के साथ निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने का वचन देते हैं।

भवदीय

(अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ अंचल प्रमुख/ महाप्रबंधक के हस्ताक्षर)
मुहर

परिशिष्ट I-अ

बैंक द्वारा पहले से स्थापित/ स्थापन हेतु प्रस्तावित सीएसपी/ बीसी/ ऑपरेटर

(बैंकों द्वारा प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए)

क्रम. सं.	राज्य	जिला	गाँव	बैंक	सीएसपी/ बीसी (ऑपरेटर) की संख्या	प्रति सीएसपी/ बीसी प्रति माह प्रोत्साहन पात्रता (₹) @	प्रति वर्ष माँगी गई मंजूरी (₹)
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*
1							
2							
3							
4							
5							

@ दावे श्रेणीबद्ध वास्तविक उपलब्धि पर आधारित होंगे

मुहर सहित हस्ताक्षर

एमएस एक्सेल प्रारूप में भी डेटा प्रस्तुत किया जाए

परिशिष्ट - II

(दावा/ प्रतिपूर्ति प्रारूप)

(बैंक के शीर्ष-पत्र पर प्रस्तुत किया जाए)

मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक/ प्रभारी अधिकारी
नाबार्ड
_____ क्षेत्रीय कार्यालय

महोदया/ महोदय

पूर्वोत्तर राज्यों/ पहाड़ी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएसपी)/ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) के लिए प्रोत्साहन योजना की प्रतिपूर्ति हेतु दावा

कृपया दिनांक _____ के अपने पत्र संख्या _____ का संदर्भ लें जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों/ पहाड़ी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत बैंकों के ग्राहक सेवा केन्द्रों (सीएसपी)/ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उन्हें दिए गए प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति हेतु हेतु एफआईएफ से सहायता का दावा करने के लिए _____सीएसपी/ बीसी/ ऑपरेटरों के लिए अनुमोदन दिया गया है।

हम सीएसपी/ बीसी/ ऑपरेटरों को (___ से _____ तक) अवधि के दौरान हमारे द्वारा भुगतान किए गए प्रोत्साहन के भुगतान से संबंधित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ₹ _____ (_____ रुपए) की राशि की प्रतिपूर्ति करें।

क्र. सं.	**मद**	**विवरण**
i.	नाबार्ड द्वारा योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिए मंजूर की गई सीएसपी/ बीसी/ ऑपरेटरों की संख्या	
ii.	योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र पाए गए सीएसपी/ बीसी/ ऑपरेटरों की संख्या	
iii.	सीएसपी/ बीसी/ ऑपरेटरों को दिए गए प्रोत्साहन का विवरण	₹_____
		भुगतान की तिथि
iv.	वह अवधि जिसके लिए प्रोत्साहन का भुगतान किया गया है	
v.	नाबार्ड से माँगी गई प्रतिपूर्ति की राशि	₹_____

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि सीएसपी/ बीसी/ ऑपरेटरों को आबंटित क्षेत्रों/ गाँवों में लोगों को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उनकी सेवाओं का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तालिका के क्रमांक (iii) में ₹_____(_____ रुपए) की राशि वास्तव में सीएसपी/ बीसी/ ऑपरेटरों को योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में भुगतान की गई है।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन सीएसपी/ बीसी/ ऑपरेटरों के लिए योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति माँगी गई है, उनका विवरण जन धन दर्शक पोर्टल, बीसी रजिस्ट्री पोर्टल या डीएफएस/ आईबीए/ भारतीय रिजर्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा अनुरक्षित किसी समान पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि मौजूदा दावे के अंतर्गत सहायता के लिए किसी अन्य संस्था/ संगठन से कोई दावा नहीं किया गया है।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऑपरेटर की नियुक्ति के पश्चात् ऋण प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भवदीय,

(अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ अंचल प्रमुख/ महाप्रबंधक के हस्ताक्षर)

मुहर